बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पू.उ.प्र.अं./44/एसएलबीसी/दिसम्बर 2017/ ९९ 04.04.2018

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर 2017 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 19.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) की वेबसाइट www.slbcup.com पर अपलोड कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(संजीव गुप्ता)
सहायक महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, पूर्वी उ.प्र. अंचल, "बडौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ –226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन/Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) फैक्स/Fax:0522-6677726, 6677732
ई–मेल/E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट/Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर 2017 तिमाही की बैठक दिनांक 19.03.2018 का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की दिसम्बर 2017 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 19.03.2018 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री अशोक कुमार गर्ग, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री लोक रंजन, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने भी वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत की। उन्होंने बैठक की कार्यवाही का अवलोकन किया तथा समय समय पर अपने विचार व्यकत किए।

बैठक में डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन; श्री ए. के. सिंह, आई.ए.एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी (के.वी.आई.बी.); श्री जी. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव (कृषि); श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड की उपस्थिति प्रमुख रही। विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री बी. एस. ढ़ाका, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

1. प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप स्कीम – "उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना, 2017" का क्रियांवयन Standard Accounts हेतु -3- चरणों में सम्पन्न हो चुका है जिसमें लगभग -34.13- लाख किसानों को रू. 20968.44 करोड़ की धनराशि का लाभ प्रदान किया जा चुका है। एन.पी.ए. खातों हेतु इस योजना का क्रियांवयन प्रगति पर है तथा हम आश्वस्त हैं कि शीघ्र ही इन एन.पी.ए. खातों से सम्बन्धित Redemption Amount राज्य सरकार से बैंको को प्राप्त हो सकेगा। इस योजना का क्रियांवयन निश्चय ही बैंकर्स के लिए एक challenge व साथ ही साथ opportunity बनकर उभरा है। हमें इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक किसानों को हम पुनः कृषि व तत्सम्बन्धी गतिविधियों हेतु ऋण सुविधाएँ प्रदान कर सकें जिसके परिणाम वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगना करने की महत्वाकांक्षी योजना में परिलक्षित हो सकेंगे।
2. प्रदेश में पहली बार एक वृहद स्तरीय Investors Summit का सफल आयोजन हुआ जिसमें रू. 4.28 लाख करोड के निवेश हेतु MoU प्राप्त हुए है। इससे बैंको को अच्छे ऋण प्रस्ताव प्राप्त होंगे जो हमारे प्रदेश के विकास में सहायक होंगे एवं ऋण जमा अनुपात को सुधारने में भी सहायक होंगे।
3. माननीय इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आदेश पारित किया है कि Physical Possession के बिना सम्पतियों को SARFAESI Act में नीलाम नहीं किया जा सकता। इसके मद्देनजर प्रदेश में विभिन्न बैंको द्वारा जिलाधिकारियों के यहाँ लम्बित Physical Possession हेतु आवेदन का सामयिक निस्तारण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य सरकार से इसमें सहयोग हेतु हमारा आग्रह है।
4. अटल पेंशन योजना (APY) के सफल क्रियांवयन में हमारा प्रदेश, भारतवर्ष में अव्वल स्थान पर चल रहा है। PFRDA द्वारा माह जनवरी 2018 से हमें -4- अवसरों पर इस उपलब्धि हेतु सम्मानित किया गया है। इस सफलता हेतु यहाँ मौजूद सभी Stakeholders सराहना के पात्र है।
5. माह जनवरी 2018 में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Schedule Castes) ने हमारे प्रदेश का भ्रमण किया। दिनांक 11 जनवरी 2018 को मुद्रा योजनांतर्गत प्रदेश में बैंको द्वारा वर्ग विशेष को प्रदान किये जा रहे वित्तीय योगदान की समीक्षा की गयी। उल्लेखनीय है कि हमारा प्रदेश पूरे भारतवर्ष में इस मानक में द्वितीय स्थान पर है तथा आयोग द्वारा इसकी सराहना की गयी है।

   आज अपराह्न में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) द्वारा प्रदेश में बैंको द्वारा इस वर्ग हेतु किये जा रहे ऋण प्रवाह की समीक्षा प्रस्तावित है।
6. प्रदेश में वार्षिक ऋण योजना (Annual Credit Plan 2018-19) की तैयारी से सम्बन्धित NABARD द्वारा दिनांक 25.01.2018 को State Credit Seminar का आयोजन किया गया। विश्वास है कि सभी -75- जनपदों में वार्षिक ऋण योजना की Launching 31.03.2018 तक सुनिश्चित कर ली जायेगी।
7. दिनांक 27.02.2018 को माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य सभी कृषि ऋण योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी। बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में इन सभी योजनाओं के सफल क्रियांवयन व आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मैं अनुरोध दोहराना चाहूँगा।

8. प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2018 को One District One Product (ODOP) योजनांतर्गत उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में सभी बैंको व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर इसके क्रियांवयन हेतु चर्चा की गयी। इस नवीन योजना के क्रियांवयन हेतु यहाँ मौजूद सभी स्टेकहोल्डर्स से मेरा पुन: अनुरोध है।
9. विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा आज के एजेण्डा में सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी है और निश्चय ही आज की चर्चा हमें भविष्य में कार्य करने हेतु एक दिशा निर्धारित करेगी। मैं पुन: विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश के विकास में हम अपना योगदान प्रदान कर सकें।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री अशोक कुमार गर्ग, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने श्री लोक रंजन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय का अभिवादन एवं स्वागत करते हुए सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों/ प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए प्रदेश में चल रही आर्थिक गतिविधियों, राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं, ऋण जमा अनुपात सहित कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा अपने विचार व्यक्त किये। श्री गर्ग ने विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा की :

सर्वप्रथम उन्होंने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश में इंवेस्टर्स सम्मिट, 2017 जैसे बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने पर बधाई दी। उन्होनें सदन को बताया कि 21 एवं 22 फरवरी 2018 को सम्पन्न इस शिखर सम्मेलन में रू.4,28,000 करोड़ निवेश हेतु 1047 समझौता ज्ञापन निवेशको एवं राज्य सरकार के मध्य सम्पादित हुए जिससे उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास की दिशा निर्धारित होगी।

- एक जनपद एक उत्पाद की संकल्पना से प्रदेश का संतुलित विकास होने की सम्भावना मूल रूप ले सकेगी। उन्होंने कहा इस योजना को पी.एम.ई.जी.पी., पी.एम.एम.वाई. तथा स्टैण्ड अप इण्डिया जैसी योजनाओं से जोड़ देने पर दूरगामी परिणाम होंगे।
- औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी Ease of doing Business Index के अनुसार उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर है। प्रदेश सरकार ने इस हेतु 5 सुधार कार्यक्रम यथा परमिट, सूचनात्मक पहुँच एवं पारदर्शिता, पर्यावरण पंजीकरण, भूमि उपलब्धता एवं एकल खिड़की समाधान प्रमुख रूप से औद्योगिक विकास के लिए लागू किये है।
- Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) Scheme के तहत रू 11421 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले नगर एवं उपनगर शामिल है।
- सरकार ने उ.प्र. में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू 11500 करोड़ का प्रावधान बजट में किया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के विकास के लिए रू 1000 करोड़ आवंटित किए गए है।
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे के लिए रू 650 करोड आवंटित किए गए है। साथ ही Defence Corridor को विकसित करने की योजना है। इसमें रू. 1 लाख करोड़ के निवेश की सम्भावना है।
- अगले 5-6 वर्षों में जेवर एवं ग्रेटर नोयडा में अंर्तराष्ट्रीय हवाई अडडे विकसित करने की भी योजना है जिसमें रू 15000 से 20000 करोड़ निवेश की सम्भावना है।
- प्रदेश सरकार वर्ष 2024 तक आगरा, कानपुर एवं मेरठ नगरों में मेट्रों स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है।
- प्रदेश सरकार ने Industrial Investment Policy के लिए बजट में रू 1100 करोड़ की निधि का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में 15 औद्योगिक क्षेत्र, 12 विशिष्टीकृत पार्क, 4 उन्नति केन्द्र एवं औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र का एक मजबूत औद्योगिक आधारिक संरचना (Infrastructure) तंत्र मौजूद है।
- प्रदेश में बैंको का कुल व्यवसाय 31.12.2017 तक रू 13,26,228.38 करोड़ रहा जो पिछले त्रैमास से रू 36,653.35 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।
- दिसम्बर 2017 में ऋण जमा अनुपात 47.27% दर्ज किया गया जो गत तिमाही से 1.25% अधिक है।
- वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के अंतर्गत दिसम्बर तिमाही तक 60.95% उपलब्धि दर्ज की गयी इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है।
- भारतीय स्टेट बैंक में उनकी अनुश्रंगी बैंको के विलय एवं उ.प्र. कोपरेटिव बैंक के पुर्नगठन के कारण प्रदेश में बैंक शाखाओं की संख्या कम होकर 18327 हो गयी है। प्रदेश में 571 शाखाएँ खोलने की प्रस्तावित योजना के सापेक्ष 501 शाखाएँ/ बैंकिंग आऊटलेट खोले जा चुके है एवं शेष 70 स्थानों के लिए सम्बन्धित बैंको द्वारा सघन प्रयास जारी है जो 31.03.2018 तक पूरा

होने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा के समन्वयन में स्थापित एस.एल.बी.सी. की उपसमिति प्रदेश में 25,000 शाखाएँ खोलने की कार्य योजना की समीक्षा समय – समय पर कर रही है तथा इसे अंतिम रूप दे दिया गया है।

- प्रदेश अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन मे प्रथम स्थान तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन में द्वितीय स्थान अखिल भारतीय स्तर पर रखता है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के निर्धारित लक्ष्य रू 12461.25 करोड़ के सापेक्ष रू 10277.37 करोड़ की प्रगति हुई है जो 82.47% प्रगति दर्शाता है।
- विगत कुछ समय से लम्बित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इंश्योरेंश प्रीमियम एवं किसानों के आच्छादन से सम्बन्धित समामेलन (Reconciliation) प्रक्रिया का मुद्दा सुलझा लिया गया है।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 26.12.2017 को उन्नाव जनपद में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा स्वयं सहायता समूहों का एक वृहद शिविर आयोजित किया गया जिसमें लगभग 4000 समूहों को बैंक के साथ जोड़ा गया।

श्री गर्ग ने कहा कि जहाँ उपरोक्त उपलब्धियाँ बैंको द्वारा प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए किये जा रहे योगदान को दर्शाती हैं वहीं प्रदेश सरकार से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सक्रिय सहयोग की अपेक्षा व अनुरोध हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इन बिन्दुओं पर सकारात्मक सहयोग से बैंकों को अपने कार्यनिष्पादन में अधिक बल मिलेगा।

- प्रदेश में 8.63 लाख रिकवरी सर्टिफिकेट (Recovery Certificate) वसूली हेतु लम्बित है जिसमें बैंकों को रू. 5700.00 करोड़ धनराशि अवरोधित हैं। यहां यह बताना समीचीन होगा कि प्रदेश में वसूली प्रमाण पत्रों के अभिलेखीकरण का कार्य वर्ष 2012-13 में ही कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। पुनः प्रदेश में प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को सर्वोच्च राशि वाली -50-आर.सी. भी उपलब्ध करायी जा चुकी है।
- सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली अनुमति में देरी से इसका उद्देश्य विफल हो रहा है। जिला मजिस्ट्रेट से यथाशीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा है।
- प्रदेश में समस्त बैंकों के 1867 आधार प्रमाणीकरण केन्द्र चिन्हित हो चुके हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था एवं लीज़ लाइन का संचालन आवश्यक पहलू है।
- बैंको द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के सापेक्ष सिक्योरिटी के रूप में Offered भूमि के Online Charge Creation तथा Land Records के digitization को समय समय पर अद्यतन किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, प्रदेश सरकार, बैंको एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को उनके समंवित सहयोग हेतु धन्यवाद दिया।

श्री लोक रंजन, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने इस समीक्षा बैठक में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया तथा बताया कि संसद का सत्र चालू रहने के कारण वह व्यक्तिगत रूप में बैठक में उपस्थित नही हो सके है जिसका उन्हें खेद है।

अपने सम्बोधन में उन्होंने निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकृषित किया :

- सभी गाँवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने को सुनिश्चित किया जाये तथा न्यूनतम हर गाँव में 5 किमी की परिधि में एक बैंक शाखा अथवा बैंकिंग आउटलेट स्थापित किया जाये।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ / कार्यक्रमों यथा प्रधानमंत्री जन धन योजना; प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना; प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना; प्रधानमंत्री मुद्रा योजना; अटल पेंशन योजना; आधार लिंकिंग तथा आधार प्रमाणीकरण में यद्यपि सराहनीय कार्य किया जा चुका है तथापि आवश्यकता इस बात की है कि सभी पात्र परन्तु छूटे हुए व्यक्तियों को योजना के दायरे में लाया जाये।
- नीति आयोग ने देश के ऐसे 115 जनपदों को चिन्हित किया है जिसमें उपरोक्त योजनाओं / कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रगति काफी कम रही है। इन 115 जनपदों जिन्हे Aisperational Districts का नाम दिया गया है, में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के है यथा – बहराइच, बलरामपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, श्रावस्ती (अग्रणी बैंक- इलाहाबाद बैंक) चन्दौली (अग्रणी बैंक - यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया), फतेहपुर (अग्रणी बैंक- बैंक ऑफ बड़ौदा), सिद्धार्थनगर (अग्रणी बैंक- भारतीय स्टेट बैंक) जिनमें 31.03.2018 तक निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मानक निर्धारित किये गये है। 15.03.2018 तक की प्रगति दर्शाती है कि प्रदेश के सभी 8 जनपदों में बैंको द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है तथापि आवश्यकता इस बात की है कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सभी बैंक संयुक्त प्रयास करें।

श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में निम्नानुसार विचार व्यक्त किये :

- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम से सम्बन्धित संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये है वे सभी प्रासंगिक है तथा बैंको को इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है।
- प्रदेश के सभी गाँव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंको द्वारा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्रयास किये गये है। इस क्रम में तैयार किये गये रोड़मैप के अंतर्गत चयनित -571- केन्द्रों के सापेक्ष अभीतक -501- केन्द्रों में बैंक शाखाएँ/ बैंकिंग आउटलेट खोलकर कार्यवाही सम्पादित की चुकी है तथा शेष केन्द्रों पर यह कार्यवाही 31.03.2018 तक सम्पादित करने हेतु सम्बन्धित बैंको ने एस.एल.बी.सी. को आश्वस्त किया है। सभी सम्बन्धित बैंको से इस कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरे करने हेतु अनुरोध है। उन्होंने कहा कि इस कार्य हेतु गठित एस.एल.बी.सी. की उपसमिति की नियमित बैठकों में चर्चा की जा रही है तथा प्रदेश में बैंक शाखा/ आउटलेट विस्तार की जो कार्यवाही चल रही है उस पर भी शीघ्र कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाये।
- बिजनेस कारेस्पाण्डेंटस (बी.सी.) की महत्ता का जिक्र करते हुए क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने कहा कि सभी बैंक अपना डाटा रिव्यु कर लें। यह देखा गया है कि विस्तृत जानकारी के आभाव में जनमानस बी.सी. की सुविधाएँ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि सभी नोडल शाखाएँ अपने बी.सी. की जानकारी शाखा में प्रदर्शित करें। इस बाबत बी.सी. से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियाँ, उनकी जिम्मेदारी, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ/सुविधाएँ व उसकी फोटो को एक बोर्ड में शाखा परिसर में प्रदर्शित किया जाये। उन्होनें अवगत कराया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पोर्टल पर बी.सी. रजिस्ट्री एप्प तैयार किया है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने Centre for Financial Learning कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। पायलट आधार पर देश के 9 राज्यो में 80 ब्लॉक इस कार्यक्रम मे शामिल किए गए है तथा इस प्रयास में 6 एन.जी.ओ. की सुविधाएँ प्राप्त की जा रही है।
- एम.एस.एम.ई. योजनांतर्गत ऋण उपलब्धता हेतु उन्होंने बैंको का ध्यान आकर्षित किया तथा बताया कि बैंको द्वारा प्रदान किये जा रहे ऋण पर निर्धारित निर्देशो के प्रतिकूल Collateral Security माँगने की शिकायते प्राप्त होती है। इस क्रम में बैंको द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशो का अनुपालन करना अपेक्षित है।
- कृषि ऋण खातो में बढ़ते हुए एन.पी.ए. पर चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने सुझाव दिया कि बैंको द्वारा सभी ऋण खाताधरको को ऋण प्रदान करते समय इसकी अदायगी का पूरा शिडियूल प्रारम्भ में ही बता देना चाहिए ताकि निर्धारित समय सारणी के अनुसार ऋण की अदायगी की जा सके तथा खाता एन.पी.ए. होने से बचाया जा सके।
- उन्होंने जाली नोटो के परिचालन पर भी चर्चा की तथा बताया कि देश में लगभग सभी स्थानो पर जाली नोट पकड़े गये है। इन जाली नोटो की पहचान हेतु मशीनों की उपलब्धता सभी ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी शाखाओं में भी सुनिश्चित की जाये।
- जनपद स्तर पर आयोजित डी.सी.सी./ डी.एल.आर.सी. मीटिंग्स में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही साथ सभी जनपदों में इन बैठको के आयोजन हेतु वार्षिक कैलेण्डर निर्धारित किया जाये तथा इस कैलेण्डर के अनुसार यह बैठके समय से आयोजित की जाये। उन्होंने इंगित किया कि कई जनपदों में विभिन्न अवसरों पर यह बैठके विभिन्न कारणों से आखिरी समय पर स्थगित कर दी जाती है। इसके समाधान हेतु प्रदेश शासन स्तर से जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अपने सम्बोधन में निम्न बातो का उल्लेख किया :

- नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइज़ेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। गत वर्ष नाबार्ड द्वारा दो जनपदों बाराबंकी और वाराणासी में स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइज़ेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के -6- अन्य जनपदों को इस कार्य हेतु चयनित किया गया है।
- उन्होंने संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा इंगित प्रदेश के 8 Aspirational Districts में विभिन्न मानकों में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बैंको से पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होने अवगत कराया कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत नाबार्ड द्वारा प्रदेश मे 34000 कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है जिनमें से अधिकांश कार्यक्रम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व कॉपरेटिव बैंको द्वारा चलाए जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में उन्होने Mobile Van Service का जिक्र किया जिसके द्वारा Banking at Doorstep उपलब्ध कराई जा रही है।
- नाबार्ड द्वारा ग्रामीण स्तर पर वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रम सम्पन्न कराए जा रहे हैं।
- नाबार्ड द्वारा गत 25.01.2018 को State Credit Seminar का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न Area Development Schemes का विमोचन भी किया गया तथा प्रदेश में लगभग 150 Area Development Schemes यथा Dairy, Goatery, Poultry, Beekeeping, Piggery, Tissue Culture, Banana, Floriculture, Mushroom Cultivation etc. तैयार की गयी हैं।

- वार्षिक ऋण योजना 2018-19 को सभी जनपदों में तैयार कर इसका विमोचन 31.03.2018 तक करा लेना सुनिश्चित किया जाये।
- नाबार्ड द्वारा भारत सरकार की अनेक योजनाओं हेतु अनुदान/ पुर्नवित्त निर्गत किया जाता है। सभी बैंको से अनुरोध है कि सभी स्वीकृत/ वितरित ऋण खातो में Utilization Certificate प्राप्त कर नाबार्ड को ससमय उपलब्ध करवा दें ताकि अनुदान/ पुर्नवित्त को निर्गत किया जा सके।
- नाबार्ड ने 130 Farmers Producers Organization (FPO) को प्रोन्नत किया है जो अब कम्पनी एक्ट के अंतर्गत कम्पनी का रूप ले चुके है। बैंको द्वारा इन FPOs को अपने ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर जिले में कई Stonemines है जिनको पानी एकत्र करने हेतु विकसित किया जा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 20 स्टोनमाइन्स को विकसित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसकी पुनरावृत्ति बैंको व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जा सकती है जो निश्चित रूप से इस सूखा प्रभावित क्षेत्र में जल संवर्धन में सहायक सिद्ध होगा।

डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई. ए. एस., अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में सर्वप्रथम यू. पी. इंवेस्टर्स समिट 2017 के सफल आयोजन तथा प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना - फसली ऋण मोचन योजना में बैंको की सक्रिय सहभागिता व सहयोग हेतु प्रदेश सरकार की ओर से साधुवाद ज्ञापित किया। उन्होने कहा कि बैंकर्स सत्र में विभिन्न बैंको के मुख्य कार्यपालकों द्वारा सहभागिता की गयी तथा अनेक अच्छे सुझाव प्राप्त हुए है। इन महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही के उद्देश्य से विचार किया जायेगा ताकि उन पर अमल किया जा सके।

प्रदेश में कम ऋण जमा अनुपात पर गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ पाण्डेय ने कहा कि इसमें कोई सुधार दिखाई नही दे रहा। प्रदेश में बैंको द्वारा जमा राशियों के सापेक्ष ऋण प्रवाह सही अनुपात में न होने के कारण विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विभिन्न प्रदेश जहाँ ऋण जमा अनुपात 60% से ऊपर चल रहा है, की स्थितियाँ दर्शाती है कि वहाँ जमा धन राशियों के सापेक्ष ऋण वितरण की कार्यवाही बैंको द्वारा सघन रूप से की जाती है। अत: प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण हेतु सघन प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही साथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत भी शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति किये जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश सरकार की नवोन्मेशी योजना - एक जनपद एक उत्पाद का जिक्र करते हुए अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि हमारे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में काफी लम्बे समय से किसी न किसी उत्पाद का निर्माण होता चला आ रहा है परंतु कुछ स्थानीय मूलभूत सुविधाओं के अभाव में विभिन्न समस्याएँ महसूस की जाती रही है। इस योजना के अंतर्गत यह रणनीति बनाई गयी है कि सम्बन्धित उत्पाद हेतु मेगा ऋण वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न Forward & Backward Linkages की उचित व्यवस्था भी की जायेगी ताकि उत्पादक को अपने माल की सही कीमत एवं लाभ प्राप्त हो सके। इस कार्य हेतु प्रदेश सरकार विभिन्न एजेंसीस के साथ समंवय कर रही है। हमारा प्रयास होगा कि प्रत्येक जनपद में ऋण प्रवाह का काम कैम्प मोड में किया जाये जिसमें सम्बन्धित जिलाधिकारी की महती भूमिका रहेगी। दिनांक 09.03.2018 को प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में इस योजना के क्रियांवयन से सम्बन्धित विभिन्न पहलूओं पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है और शीघ्र ही इसे मूर्त रूप दिया जायेगा।

वार्षिक ऋण योजना 2017-18 की प्रगति पर उन्होंने रोष जाहिर करते हुए कुछ बैंको का जिक्र किया जिनकी उपलब्धि प्रदेश के कुल औसत प्रतिशत उपलब्धि के सापेक्ष काफी कम रही है। उन्होंने कहा कि सभी बैंको को इस योजना के लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित कराने हेतु प्रयास करना होगा।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मानको यथा प्रधानमंत्री जन धन योजना में खोले गये खातों में रूपे कार्ड का वितरण, सभी खातों में आधार लिंकेज की शत प्रतिशत कार्यवाही, मुद्रा एवं स्टैण्ड अप योजनांतर्गत आशातीत स्तर तक लक्ष्य उपलब्धि हासिल करना तथा विभिन्न बीमा एवं पेंशन योजनाओं के अंतर्गत एनरोलमेंट बढ़ाया जाना इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी उन्होंने अपना अनुरोध दोहराया।

अपर मुख्य सचिव ने बैंको के बड़ी संख्या में लम्बित आर. सी. केसेस में वसूली तथा सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रार्थना पत्रों में सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा अनुमति व Possession बैंको को दिलाये जाने हेतु राज्य सरकार के स्तर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की गयी –

कार्यसूची संख्या – 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 26.12.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विगत बैठक दिनांक 26.12.2017 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 04.01.2018 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या – 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 26.12.2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

1. प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत खातों में जारी रूपे कार्ड का वितरण एवं सक्रियकरण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में आधार संख्या की सीडिंग करना :

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी बैंक समस्त पात्र खातों में जारी रूपे कार्ड का वितरण दैनिक आधार पर विशेष कैम्प आयोजित कर वितरित कर रहे है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों दिनांक 01.02.2018 के क्रम में बैंको में दिनांक 05.02.2018 से 20.02.2018 तक वित्तीय समावेशन अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त इस कार्य में बी.सी. की सेवायें भी ली जा रही है। केन्द्र सरकार के पेंशन धारको तथा मनरेगा श्रमिकों के खातों में आधार लिंकिंग का कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है।

भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में विभिन्न बैंको द्वारा कुल 1867 आधार नामांकन केन्द्र स्थापित किये गये है जहाँ आधार कार्ड बनाने तथा बैंक खातों को आधार से जोड़ने एवं प्रमाणीकरण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत 140.99 लाख नामांकन दर्ज कर हमारा प्रदेश अखिल भारतीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर है जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में हमारा द्वितीय स्थान है। अटल पेंशन योजना में 12.88 लाख लोगो का पंजीकरण कर हमारा प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर चल रहा है।

2. 5000 एवं अधिक की जनसंख्या वाले ऐसे गाँव जहाँ कोई भी बैंक शाखा नहीं है, वहाँ बैंको द्वारा ब्रिक एवं मोर्टार शाखा खोलने हेतु रोडमैप:

सदन को अवगत कराया गया कि इस हेतु एस.एल.बी.सी. की सब कमेटी बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजन में गठित है जिसकी चार बैठके हो चुकी है। कुल चिन्हित 571 केन्द्रों मे से 501 केन्द्रों पर बैंको द्वारा शाखा/ बैंकिंग आउटलेट्स खोले जाने की सूचना प्राप्त हुई है तथा शेष सभी केन्द्रो पर सम्बन्धित बैंको द्वारा यह कार्यवाही 31.03.2018 तक पूर्ण किये जाने हेतु वचनबद्धता है।

3. बैंको द्वारा LBS MIS- I, II और III विवरणी का ससमय प्रेषण :

हालांकि निरंतर अनुश्रवण के द्वारा वांछित विवरणियों के प्रेषण की स्थिति में सुधार हुआ है तथापि आर.बी.आई. के निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित बैंको के स्तर से वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टैण्ड अप इण्डिया योजना :

सदन को अवगत कराया गया कि मुद्रा योजनांतर्गत आवंटित कुल वार्षिक लक्ष्य रू. 12461.55 करोड़ के सापेक्ष रू 10277.37 करोड़ धनराशि की उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है जो लक्ष्य का 84.47% है। बैंको द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। स्टैण्डअप इण्डिया योजना के अंतर्गत अर्जित उपलब्धि पर सदन द्वारा चिंता व्यक्त की गयी तथा इसमें आवश्यक सुधार हेतु कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना:

हर परिवार को घर के राष्ट्रीय उद्देश्य के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2017 को समाप्त अवधि तक 3847 मामलों में ऋण सुविधा रू 46641.96 लाख के वितरण की जानकारी से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 3

वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का क्रियांवयन

क) प्रधानमंत्री जन – धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

भारत सरकार द्वारा 15.08.2014 से प्रारम्भ की गयी इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस योजना के अंतर्गत दिनांक 02.03.2018 तक 46931641 खाते खोले जा चुके है तथा 37313751 रूपे कार्ड वितरित किये जा चुके है।

इसी के साथ डी.बी.टी. योजना के सफल क्रियांवयन के लिए निष्क्रिय बैंक मित्रों को सक्रिय कराने एवं नये बैंक मित्र बनाने पर विचार किया गया। सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंक मित्रों के पास AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) आधारित ट्रांसेक्शन मशीन उपलब्ध है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में -8- स्थानो पर मेगा डिजी धन मेलो का आयोजन किया गया जिसमें माननीय जन प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

ख) (1) सुरक्षा बीमा योजनाओं का क्रियांवयन -

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएँ यथा "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" व "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" एवं एक पेंशन योजना "अटल पेंशन योजना" के अंतर्गत प्रदेश में बैंको द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों के निस्तारण पर बैंको, बीमा कम्पनियों मे त्वरित गति से कार्य करने का निर्णय लिया गया। सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में द्वितीय स्थान पर है।

ख) (2) अटल पेंशन योजना -

अटल पेंशन योजना, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर एवं स्वरोजगारी व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु उपरांत उन्हें पेंशन उपलब्ध कराना है। अवगत कराया गया कि PFRDA द्वारा समय समय पर इस योजना के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न अभियान चलाये गये जिसमें सभी सदस्य बैंको ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। हमारे प्रदेश ने पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

ग) वित्तीय समावेशन के तहत अन्य कार्यक्रम :

सदन को अवगत कराया गया कि जारी किये गये समस्त रूपे कार्ड्स तथा पिन का वितरण एवं एक्टीवेशन तथा जीरो बैलेंस खातों में फण्डिंग जैसी योजनाओं पर प्रदेश सरकार वीडियों कांफ्रेसिंग तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से इन योजनाओं की मानीटरिंग लगातार कर रही है। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सभी बैंको से इन कार्यक्रमों में सहयोग की अपील की गई।

घ) बैंक खातों में आधार प्रविष्टिकरण एवं अधिप्रमाणन :

सभी अवगत है कि भारत सरकार ने दिनांक 26.03.2016 के शासन आदेशों के माध्यम से किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए खाते में आधार की प्रविष्टि को आवश्यक कर दिया है।

सदन को यह भी बताया गया कि भारत सरकार ने आदेश दिनांक 14.07.2017 के माध्यम से सभी बैंको को आधार नामांकन तथा अद्यतन करने के निर्देश दिये है। इस कार्य हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स के सक्रिय सहयोग का अनुरोध किया गया।

ड) बैंको में आधार नामांकन केन्द्र की स्थापना :

भारत सरकार के राजपत्र संख्या 284 दिनांक 14.07.2017 के अनुपालन में प्रदेश में कार्यरत बैंक शाखाओं में प्रति 10 शाखा पर एक शाखा में आधार नामांकन केन्द्र की स्थापना करना अपेक्षित था। तदनुसार प्रदेश में सभी बैंको की कुल 1867 शाखाएँ चिन्हित की गई है। इन शाखाओं में आधार नामांकन केन्द्र खोलने की प्रक्रिया 31.03.2018 तक पूर्ण की जानी है। 1867 चिन्हित बैंक शाखाओं में अब तक 1069 आधार नामांकन केन्द्र सक्रिय हो चुके है। इस हेतु 1816 बैंक कार्मिक चिन्हित किये गये जिसमें 1613 कार्मिक आपरेटर तथा सुपरवाइजर के रूप में प्रमाणित किये जा चुके है।

च) डिजिटल बैंकिंग:

विमुद्रीकरण के पश्चात कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने हेतु बैंको ने आधार युक्त जमा भुगतान एवं रूपे कार्ड आधारित जमा भुगतान शुरू किया है। साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंको द्वारा मोबाइल बैंकिंग, यू.पी.आई. (Unified Payment Gateway); भीम (Bhim) इत्यादि सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जा रही है।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू. 312 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसमें से बैंको को अपने स्तर पर इलेक्ट्रानिकली ट्रांजेक्शन यथा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./आई.एम.पी.एस. क्रेडिट व डेबिट कार्ड, पांइट ऑफ सेल, आधार आदि से पूर्ण करना है। बैंको को आवंटित लक्ष्य 100 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन के सापेक्ष दिसम्बर 2017 तक लगभग 111 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन की प्रगति परिलक्षित हुई। सभी स्टेक होल्डर्स से अनुरोध है कि इन्हें बढ़ाने हेतु सघन प्रयास किये जाये।

छ) ऐसपिरेशनल जनपद (Aspirational Districts)

भारत सरकार द्वारा देश में -115- पिछड़े जनपदों को Aspirational Districts परिभाषित किया गया है तथा चयनित विकास आवश्यकताओं को पूरा कर उनके सर्वांगीण विकास हेतु चिन्हित किया गया है। इन -115- जनपदों में से -8- जनपद यथा

चित्रकूट, सोनभद्र, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती (इलाहाबाद बैंक), फतेहपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा), सिद्धार्थनगर (भारतीय स्टेट बैंक) व चन्दौली (यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया) हमारे प्रदेश से सम्बन्धित हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक सं. एफ. नं. 9/22/2012-एफ.आई.(सी-54005) दिनांक 15.02.2018 के माध्यम से इन चिन्हित जनपदों में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रगति की निगरानी हेतु निर्धारित -5- मानकों व प्रत्येक मानक हेतु केपीआई (Key Performance Indicator) से अवगत कराया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त -8- जनपदों में विशेष डी.सी.सी./डी.एल.आर.सी. की बैठकें सम्पन्न की जा चुकी हैं एवं निर्धारित मानको में वांछित प्रगति हेतु प्रयास किये जा रहे है।

कार्यसूची संख्या – 4

(हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियांवयन- प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय सहायता पहुँचाना है जो कार्यशील पूंजी और टर्म लोन के रूप में होती है। इस योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को बुनकर क्रेडिट कार्ड के रूप में वित्त पोषण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अब बुनकर समुदाय हेतु ऋण सुविधा "मुद्रा योजना" के अंतर्गत कवर की जायेगी और यह योजना "प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर – मुद्रा योजना" के नाम से जानी जायेगी। इस सन्दर्भ में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित दिशा निर्देश प्रेषित किये गये है। प्रदेश में -7- हथकरघा क्लस्टर चिन्हित किये गये है और वित्तीय वर्ष 2016-17; 2017-18 एवं 2018-19 के लिए क्लस्टवार एवं बैंकवार कार्य योजना तैयार कर दिशा निर्देश चिन्हित बैंको को प्रेषित किया गया है। इस कार्यक्रम के क्रियांवयन एवं मूल्यांकन हेतु एस.एल.बी.सी. की एक सब कमेटी सिंडीकेट बैंक के समन्वय में गठित है, जिसकी नियमित बैंठक आयोजित कर प्रगति समीक्षा की जानी है। सम्बन्धित बैंको से अनुरोध किया गया कि लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण अविलम्ब कराये ताकि बुनकरों को ससमय आर्थिक लाभ प्राप्त हो एवं वे अपना कारोबार कर सके।

कार्यसूची संख्या – 5

(वार्षिक ऋण योजना 2017-18 की समीक्षा)

वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के अंतर्गत दिसम्बर 2017 तक की बैंकवार/ सेक्टरवार प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार तृतीय त्रैमास तक वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष कुल उपलब्धि 60.95% रही इसमें सेक्टरवार प्रगति का प्रतिशत क्रमश: कृषि – 53.18%; लघु उद्यम- 103.61% एवं सेवा क्षेत्र- 99.00% दर्ज किया गया। दिसम्बर 2017 तक ऋण वितरण गत वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष रू 29724.44 करोड अधिक रहा।

प्रस्तुत आँकड़ो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाणिज्यिक तथा निजी क्षेत्र के बैंको व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्रगति क्रमश: 63.03% व 54.60% रही है। कोआपरेटिव बैंको की प्रगति का प्रतिशत 58.14% रहा है।

कार्यसूची संख्या – 6

(ऋण जमा अनुपात)

प्रदेश के कम ऋण जमा अनुपात पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और इसे योजनाबद्ध तरीके से बढाने हेतु विचार किया गया। इस सन्दर्भ में प्रदेश के दिसम्बर 2017 त्रैमास की प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें मार्च 2017 व सितम्बर 2017 के सापेक्ष वृद्धि की समीक्षा हुई। बैंको से अनुरोध किया गया कि बैंक अपने स्तर पर जिला स्तरीय परामर्श समिति की विशेष बैठके आयोजित करें। यह बात भी इंगित की गयी कि कुल जमाराशियों मे से इंटर बैंक जमा राशियाँ घटा कर ऋण जमा अनुपात की गणना की जाये। यह अवगत कराया गया कि प्रदेश में ऋण जमा अनुपात की समीक्षा हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के संयोजन में एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति गठित है जो इस योजना की समीक्षा अपनी नियमित बैठको में कर रही है।

बैंकवार/ सेक्टरवार अग्रिमों की स्थिति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाणिज्यिक तथा ग्रामीण बैंको का कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गों हेतु ऋण क्रमश: रू. 123425.29 करोड़ (28.99%); रू 261043.47 करोड़ (61.32%) एवं रू. 83765.80 करोड़ (19.68%) जो भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के सापेक्ष अच्छा है।

कार्यसूची संख्या – 7

(पूर्वी भारत में हरित क्रांति योजनांतर्गत प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों में इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है तथा नाबार्ड द्वारा प्रेषित सब प्लान के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के समंवय एस.एल.बी.सी. की उपसमिति अपनी नियमित त्रैमासिक बैठकों में इस योजना की विस्तृत समीक्षा करती है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया कि उपसमिति की नियमित बैठको में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए जिससे सभी विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रगति पर सार्थक चर्चा की जा सके।

कार्यसूची संख्या – 8

(किसान क्रेडिट कार्ड/ फसली ऋण/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रदेश में कुल 35 लाख के.सी.सी. जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष समीक्षा अवधि तक कुल 41.61 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है जिनमें कुल 8.89 लाख नये कार्ड जारी किये गये एवं शेष 32.72 लाख कार्डो का नवीनीकरण किया गया। साथ ही साथ यह योजना भी बीमा से आच्छादित है जिसमें किसान का एक व्यक्तिगत बीमा एवं दूसरा दिए गये ऋण का बीमा होता है।

भारत सरकार द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" का क्रियांवयन सभी बैंको के माध्यम से किया जा रहा है। यह योजना प्रत्येक ऋणी कृषको के लिए अनिवार्य है। अत: बैंको द्वारा प्रत्येक किसान को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2017-18 के लिए खरीफ फसल के लिए फसल बीमा योजना की प्रगति कृषि निदेशालय से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई।

बैठक में ऋणी तथा अऋणी कृषकों के ऋण खातों में बीमा प्रीमियम की धनराशि खाते से डेबिट कर कंसेट फार्म के अनुसार, वांछित सूचनाओं सहित प्रीमियम राशि का उपयुक्त स्तर पर ससमय प्रेषण, योजना के पोर्टल पर अपलोड किये जाने पर चर्चा हुई।

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री ने दिनांक 27.02.2018 को एक बैठक आहूत की थी जिसमें कृषि से सम्बन्धित सभी योजनाओं की प्रगति समीक्षा की गयी। बैको द्वारा माननीय कृषि मंत्री को आश्वस्त किया गया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

चर्चा के दौरान यह अवगत कराया गया कि बीमित कृषक की बीमा प्रीमियम तथा पोर्टल पर अपलोड की गई बीमा प्रीमियम मे जो भी अंतर था उसे सम्बन्धित बैंको, बीमा कम्पनियों तथा कृषि निदेशालय के संयुक्त प्रयासों से सुलझा लिया गया है।

कार्यसूची संख्या – 9

(सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बैंको द्वारा किये जा रहे ऋणों की स्थिति पर सदन में विस्तृत चर्चा की गयी। इस क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि सिडबी की CGTMSE क्षेत्र में वित्त पोषण कवरेज हेतु उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है। सदन में भारत सरकार की "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा सदन को अवगत कराया गया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश में इस योजना की प्रगति लगभग 82.47% रही है। इसी क्रम में "स्टैण्ड अप इण्डिया" कार्यक्रम की प्रगति पर भी चर्चा की गयी तथा इसकी प्रगति में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से सघन प्रयास किये जाने पर बल दिया गया।

कार्यसूची संख्या – 10

(साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह)

सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या – 11

(कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते एवं गैर निष्पादक आस्तियाँ)

बैंक ऋण वसूली से सम्बन्धित विभिन्न मानकों पर प्रगति से सदन को अवगत कराया गया। इस विषय पर इलाहाबाद बैंक के समन्वयन में एस.एल.बी.सी. की एक उप समिति कार्यरत है जिसकी नियमित बैठके आयोजित की जा रही है। श्री दिनेश कुमार, महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक ने बताया कि इस उपसमिति की गत बैठक दिनांक 15.03.2018 में विभिन्न बैंको द्वारा ऋण वसूली के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा बढ़ती हुई बकाया धनराशि तथा एन.पी.ए. पर चिंता व्यक्त की गयी है। साथ ही साथ दो अन्य बिन्दु यथा आर.सी. दर्ज खातो में वसूली तथा सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा अनुमति व सम्पत्ति Possession बैंको को दिलाने में अत्याधिक कठिनाई महसूस की जा रही है। साथ ही साथ सम्पत्ति के Possession हेतु पुलिस बल प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पर पुलिस विभाग द्वारा माँगी गई फीस का कोई औचित्य प्रतीत नही होता। उन्होंने इन सभी बिन्दुओं पर शासन स्तर से त्वरित कार्यवाही व सहयोग का अनुरोध किया ताकि बैंक ऋणों की वसूली में वांछित स्तर तक सुधार हो सके तथा बैंक ऋण वसूली का एक माकूल वातावरण तैयार हो सके।

कार्यसूची संख्या – 12
(अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता)

इस सम्बन्ध में सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि प्रदेश के -21- चिन्हित जनपदों में इस समुदाय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 25.64% वित्त पोषण किया गया जो 15% के निर्धारित मानक के सापेक्ष उत्साहवर्धक है।

कार्यसूची संख्या – 13
(स्वयं सहायता समूह)

बैंको द्वारा स्वयं सहायता समूहों/महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की योजना नाबार्ड एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं/ विभागों यथा राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उ.प्र. भूमि सुधार निगम लि. व यू. पी. डास्प इत्यादि के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश के चयनित -8- जनपदों में एंकर एन.जी.ओ. के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी। समस्त बैंको से अनुरोध किया गया कि वे स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज के कार्य में भरपूर सहयोग प्रदान करें।

इसी क्रम में सदन को यह भी अवगत कराया गया कि स्वयं सहायता समूह की समीक्षा हेतु एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति का गठन किया गया है, जिसकी नियमित बैठके बैंक ऑफ बड़ौदा व नाबार्ड द्वारा आयोजित की जाती है तथा योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा होती है।

श्री संजीव गुप्ता, सहायक महाप्रबन्धक (एस.एल.बी.सी.), बैंक ऑफ बड़ौदा ने अवगत कराया कि दिनांक 26.12.2017 को जनपद उन्नाव में स्वयं सहायता समूह की बैंक सम्बद्धता से सम्बन्धित एक मेगा कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के अग्रणी बैंक – बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लगभग -4000- समूहों को बैंक लिंकेज प्रदान किया गया।

कार्यसूची संख्या – 14
(विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा)
"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – एन.आर.एल.एम."

भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्रियांवयन प्रदेश के सभी -75- जनपदों एवं -200- चिन्हित विकास खण्डों में Intensive आधार पर किया जा रहा है। इस क्रम में नोडल विभाग द्वारा अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया।

आरसेटी सस्थानों की स्थापना

प्रदेश में कुल 76 आरसेटी संस्थान कार्यरत है। आरसेटी संस्थानों के क्रियाकलापो तथा प्रगति समीक्षा हेतु पंजाब नेशनल बैंक के समंवय में एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति गठित है जिसकी नियमित बैठके की जा रही है। यह बताया गया कि भारत सरकार से मिलने वाली रू 1.00 करोड़ की धनराशि/ ग्राण्ट इन एड के इस्तेमाल हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतिम तिथि 30.06.2018 तय की गयी है जिसका संज्ञान लेते हुए बैंको द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा। इस क्रम में श्री ए.के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि आरसेटी संस्थानो के लिए नाबार्ड द्वारा रू 3.00 लाख की एकमुश्त सुविधा विभिन्न उपकरण इत्यादि खरीदने के लिए उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने सभी बैंको से अनुरोध किया कि जिन्होनें यह सुविधा अभी तक प्राप्त नही की है वे तुरंत कार्यवाही करे।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन – एन.यू.एल.एम.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना शहरी वर्ग के लिए है जिसकी नोडल एजेंसी "सूडा" है जो समूहों के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ्यार्थियों को भी वित्त पोषित करती है। योजनांतर्गत दर्ज अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम – पी.एम.ई.जी.पी.

भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही इस रोजगार परक योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया। सम्बन्धित विभाग द्वारा यह सूचित किया गया कि मुख्यालय से प्राप्त नवीन दिशा निर्देशों के क्रम में इस योजनांतर्गत पूर्व में आवंटित वार्षिक लक्ष्यों में संशोधन किया गया है जिसकी जानकारी बैंको को दी गयी है। साथ ही साथ हमारे प्रदेश में पूर्व में आवंटित वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि हासिल कर ली गयी है।

विशेष समंवित योजना (एस.सी.पी.)

सन्दर्भित योजनांतर्गत अर्जित प्रगति से सदन को अवगत कराया गया प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं हुई प्रगति पर चर्चा की गयी। सदन को अवगत कराया गया कि समीक्षा अवधि के दौरान कुल -19693- आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये एवं कुल -6487- मामलों में वितरण की कार्यवाही की गयी।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

प्रदेश सरकार की यह एक महत्त्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विशेष विनिर्माण उद्योगों को विकसित करने हेतु वित्त पोषण किये जाने का प्रावधान हैं। इस योजना के अंतर्गत ब्याज उपादान (Interest Subsidy) की धनराशि प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जाती है। सभी मामलों में ब्याज उपादान राशि प्राप्त करने हेतु बैंको से पुन: अनुरोध किया गया। नोडल विभाग द्वारा बैंको से पुन: अनुरोध किया गया कि वे सभी लम्बित दावे सम्बन्धित विभाग को तुरंत प्रेषित करें ताकि सन्दर्भित धनराशि प्राप्त हो सके व बड़ी संख्या में ऋण खाते गैर निष्पादक आस्तियों (एन.पी.ए.) में तब्दील होने से बच सके।

कामधेनु/ मिनी कामधेनु/ माइक्रो कामधेनु एवं कुक्कुट विकास योजना

सन्दर्भित योजनाओं के अंतर्गत दर्ज प्रगति से सदन को अवगत कराया गया। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकाँक्षी योजना है जिसकी समीक्षा प्रदेश सरकार द्वारा उच्च स्तर पर की जा रही है। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु समस्त बैंको से अनुरोध किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना

दिनांक 17.02.2015 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों हेतु आवास योजना का शुभारम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य "सबके लिए आवास" उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत प्राप्त प्रगति से सदन को अवगत कराया गया एवं प्रदत्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समस्त सम्बद्ध से प्रयास करने हेतु अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या – 15
(भारत सरकार की नवीन योजनाएँ)

(क) एग्रीक्लीनिक/ एग्रीबिजनेस केन्द्र –

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कृषि स्नातकों के लिए यह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनांतर्गत प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

(ख) ग्रामीण भण्डारण हेतु कैपिटल इंवेस्टमेंट – सब्सिडी योजना –

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह योजना लागू की गयी है। योजनांतर्गत कार्यवाही हेतु बैंकर्स से अनुरोध किया गया।

कार्यसूची संख्या – 16
(शैक्षिक ऋण)

योजनांतर्गत प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार समीक्षा अवधि तक कुल -4957- मामलों में रू. 195.09 करोड़ की धनराशि वित्त पोषित की गयी।

कार्यसूची संख्या – 17
(बैंको के विरूद्ध अपराधिक घटनाऐं)

चर्चा के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से सम्बन्धित -4- आपराधिक मामलों के विषय में सदन को बताया गया व पुलिस विभाग से अद्यतन जानकारी का अनुरोध किया गया।

अवगत कराना है कि विशेष आमंत्री के रूप में श्री मो. इमरान, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, डायल 100 ने सहभागिता की। उन्होनें एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक मोबाइल ऐप डायल 100 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंकिंग कार्यप्रणाली के दौरान सम्भावित आकस्मिक स्थितियों में किस प्रकार यह ऐप सहायक सिद्ध हो सकता है तथा इस प्रकार हम बैंक इसका उपयोग कर सकते है। श्री मो. इमरान ने कहा कि उनके विभाग द्वारा इसकी जानकारी विभिन्न एजेंसीज को उनके अनुरोध पर दी जा सकती है। सदन द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी का स्वागत किया गया।

कार्यसूची संख्या – 18
(अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा)

सिडबी द्वारा प्रेषित एक प्रकरण जो सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स (सी सी सी) से सम्बन्धित है, को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बैठक के अंत में श्री संजीव गुप्ता, सहायक महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 19.03.2018 - कार्य बिन्दु (Action Points)

Sr. No	Issue	Status	Required Action
1.	Recovery of Bank dues under RC filed cases and permission/ possession of properties etc. in SARFAESI cases filed by the Banks	The recommendations of the Sub– Committee of SLBC (UP) on Recovery issues were placed for discussion in the Meeting. During the discussions 3 important issues have emerged wherein the active support & cooperation of the State Govt. is felt and has been requested upon as per following status : ➢ 8.63 lac RCs amounting to Rs.5700.00 Crores approximate of different Banks are pending in the State. Computerization of the RCs in the State has been done during 2012-13 and a list of top -50- RCs per district has also been meet available to the DMs and DIF by Banks. However, the recovery under RC filed accounts is very meagre. ➢ Approximately -2000- applications of different Banks under SARFAESI Act are pending for long for permission/ possession of the described property by the District Magistrates of different districts in the State. Due to non disposal of the applications for long, the recovery of Bank dues is held up and there is an urgent need for creating a conducive recovery climate in the State by providing necessary support. It is pertinent to mention that in a recent judgement passed by Hon'ble Allahabad High Court, it is mentioned that under SARFAESI Act, the property in question can not be auctioned without taking physical possession of the same. ➢ Under SARFAESI Act cases, the Banks are required to pay heavy charges for the Police Force which is made available in the process of taking the physical possession of the properties in question. The rationalization of this issue accorss the State and specific guidelines for the same are necessary.	The required details in this regard be submitted by the Banks to all concerned urgently. The suitable instructions be issued to the concerned authorities in this regard. Need of the hour is to generate a conducive recovery climate in the State so that the recovery of Bank dues improve and the mounting NPAs may be checked. (Action: All Banks & the DIF)
2.	Functioning of Bussiness Correspondents (BCs) and display of their details at the link branch etc.	As many as 28,672 BCs are functioning in the State to cover 27,628 SSAs and 9,404 wards. These BCs are providing various Banking Services to the masses in different parts of the State. However, instances have come to the notice that either the BCs become inactive/ defunct or the public is not well versed with the services being rendered by them in their area of operation. Hence, a need is felt to display the details of BCs in their link branch so that the public may get a first hand information about them.	All Banks are required to initiate necessary action and ensure display of BC details at their link branches. (Action: All Banks)
3.	Opening of 571 Brick & Mortar Branches of SCBs (including RRBs) in the villages having population of 5000 & above which are still not having a branch of SCBs (including RRBs) as per the Roadmap.	In tune with RBI instructions vide letter no. FIDD.CO.LBS.BC.No.82/02.01.001/2015-16 dated 31.12.2015, a Roadmap was prepared in the State and -571- centers were identified for opening of a new B & M Branch. This allocation exercise was finalized in consultation with all concerned and was approved by the respective DCCs in the District. The detailed modalities of this scheme had been communicated by SLBC to all concerned vide communication no. EUPZ/42/SLBC/Br. Expansion/129 dated 01.04.2016 with a request to complete this exercise within the set timeline. As per RBI Circular nos. RBI/2016-17/306DBR.No.BAPD.BC.69 /22.01.001/2016-17 dated 18.05.2017 and FIDD.Co.LBS.BC.No.31/ 02.01.001/2016-17 dated 08.06.2017, it was advised to ensure coverage of unbanked centers in villages with population above 5000 by opening CBS enabled banking outlets. Till date -501- Centres are reported to have been convered by opening of B&M Branches/ Outlets leaving a gap of -70- centres. Respective Banks have committed to complete the execise by 31.03.2018.	The Respective Banks are required to setup B&M Branches/ Banking Outlets at their allocated centres so that the targets/ commitment made is achieved latest by 31.03.2018. (Action: All Concerned Banks)

4.	Effective Implementation of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) & Stand Up India (SUI) Schemes in the State in order to achieve the set Annual Targets	The PMMY & Stand Up India (SUI) Schemes are Govt. of India sponcered Schemes and were launched on 08th April 2015 and 05th April 2016 resepctively. Under PMMY, Annual Targets are received by Banks for State from their Corporate Office which inturn are distributed up to the Branch Level. Under SUI, every branch is required to finance -1- SC/ ST and -1- Women Enterpreneur. Under PMMY, the maximum Ceiling of the loan per benificiary is Rs. 10 lacs while under SUI, the projects ranging from Rs.10 lac up to Rs. 1 Crore are covered. The Progress under PMMY during 2015-16 and 2016-17 stood at the level of 80.97% and 91.24% respectively against the set Annual Targets which indicate that Banks are activily involved in the process of scheme implementation. Similarly, under Stand Up India scheme, the performance of the Banks has remained at the level of approx. 19.01%. The low performance, is a matter of concern at all levels and is attributed to various reasons which requires certain modifications in the scheme. The Targets under PMMY for Fiscal 2017-18 are already finanlized. Against the set Annual Target of Rs. 12461.25 crores, the achievement as at 08.12.2017 is to the tune of Rs. 7424.20 crores (59.58%). In view of the fact that both these schemes are aimed at employment generation, achievement of the assigned targets is necessary.	Owing to the utmost importance attached to the issue of achievement of set annual targets, all Banks are requested to actively participate under the scheme implementation and endeavor to achieve the set Annual Targets. (Action: All Banks)
5.	Implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) to fulfill the National objective of Housing for all.	The Scheme was launched by Hon'ble Prime Minister on 17.06.2015 and has four verticals viz. "In Situ" Slum Development, Affordable Housing though Credit Linked Subsidy, Affordable Housing in Partnership, and Subsidy for beneficiary- led individual house construction. The Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) is being implemented through Primary Lending Institutions (PLI) wherein National Housing Bank and HUDCO have been identified as Central Nodal Agency (CNA). The Scheme covers EWS, LIG and MIG Sections of the society and covers various loan components up to Rs. 18 lacs. As at December 2017, Banks in the State have provided financial assistance in 3847 cases to the tune of Rs.466.42 Crores. The Government is placing lot of thrust on Housing Sector. This scheme being implemented through Banks (with a Subsidy component) is being closely monitored at all levels.	Looking to the importance of the Scheme and thrust on housing, Banks are requested to actively participate under scheme implementation. (Action: All Banks ; Central Nodal Agency)

List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 19.03.2018

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	Email_ID
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Executive Director	Shri Ashok Kumar Garg		
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri B S Dhaka	0522-6677607,	zm.upu@bankofbaroda.com
3	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Ajay Kumar		
4				Asstt. General Manager	Shri R K Singh	8887171993	rksingh2@rbi.org.in
5	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri A K Panda		
6				General Manager	Ms. Tulika Pankaj	8332852810	toolika.pankaj@nabard.org
7	State Bank of India	Chief Gen. Manager/Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri Gautam Sen Gupta		cgm.lkoluc@sbi.co.in
8				General Manager	Shri Shreekant	9437165853	gm13.lholuc@sbi.co.in
9				Dy. General Manager	Shri Sushil Kumar	9565838999	dgmabu1.lholuc@sbi.co.in
10				Asstt. Gen. Manager	Shri Kamlapati Tiwari	7706909222	k.tiwari@sbi.co.in
11	Allahabad Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri Dinesh Kumar	9417003921	fgmo.luc@allahabadbank.in
12				Senior Manager	Shri Raj Kumar Sharma	9415527540	rksharma-1966@yahoo.in
13	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Lal Singh	9920123101	fgm.lucknow@unionbankofindia.com
14				Chief Manager	Shri Motilal	9918702102	
15	Syndicate Bank	Field General Manager	No	Dy. General Manager	Shri Sandip Kumar Ghosh	9532033011	zo.lucknow@syndicatebank.co.in
16				Senior Manager	Shri S P Yadav	8004912850	fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in
17	Bank of India	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Brajesh Kumar Mohanty	9619299729	nb.north2@bankofindia.co.in
18				Asstt. General Manager	Shri R K Sharma	9425308514	nb.north2@bankofindia.co.in
19	Central Bank of India	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri S K Khanna	9918001142	zm.luck20@centralbank.co.in
20				Senior Manager	Shri Sapan Goel	9918878770	rdluckzo@centralbank.co.in
21	Punjab National Bank	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Rakesh Shukla	7073888700	zm.lko@pnb.co.in
22				Officer	Shri Nand Kishore	8173000132	nandkishore@pnb.co.in
23	Canara Bank	Chief Gen. Manager/ State Head	No	Dy. Gen. Manager	Shri Anil Kumar Jain	7317714914	ak.jain@canarabank.com
24				Senior Manager	Shri Kirit Nagar	8756993559	afpscoluck@canarabank.com
25	Indian Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. Gen. Manager	Ms. Neera Chakravarty	7233002101	neera.chakravarty@indianbank.co.in
26				Manager (Agri)	Shri Ajai Kumar Chaubey	0522-2332205	zolucknow@indianbank.co.in
27	Dena Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Suresh Buntolia	9721459111	sbuntolia@denabank.co.in
28				Manager	Ms. Shubangi	9792798344	rdd.lucknow@denabank.co.in
29	Punjab & Sind Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri Abdul Mujeeb	8874209311	lo166@psb.co.in
30				Manager	Ms. Yasmin Khan	8874228527	zo.lucknow@psb.co.in
31	Corporation Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri Shyamla Baskey	9903820102	cb8817agri@corpbank.co.in
32	Andhra Bank	General Manager/ State Head	No	Asstt. Gen. Manager	Shri V S Rao	7311106709	zoluck@andhrabank.co.in
33				Manager	Shri Anil Kumar	9140038702	zoluck@andhrabank.co.in
34	Indian Overseas Bank	Chief Regional Manager/State Head	Yes	Chief Regional Manager	Shri Rajesh Kumar Mathur	9500108210	lucknowcrm@iobnet.co.in
35	Oriental Bank of Commerce	Zonal Head	Yes	Dy. Gen. Manager	Shri N C Pandey	9004086262	np081320@obc.co.in
36				Chief Manager	Shri Bimal Kishore Pandey	8853942920	cmo-bb-ecup@obc.co.in
37	United Bank of India	Chief Regional Manager	No	Chief Manager	Shri K L Singh	7054671817	devcentral@unitedbank.co.in
38	UCO Bank	Zonal Head	Yes	Dy. General Manager	Shri J C Chippa	9415012621	zo.lucknow@ucobank.co.in
39				Chief Manaer	Shri R P Rajput	9415542702	zo.lucknow@ucobank.co.in
40	Vijaya Bank	Gen. Manager	No	Chief Manager	Shri S S Yadav	8004007766	rolucknowcm@vijaybank.co.in
41	Bank of Maharashtra	State Head	No	Dy. Zonal Manager	Shri R K Porwal	9041539430	dcmlucknow@mahabank.co.in
42				Senior Manager	Shri Plaban Patra	7084150012	pln-luc@mahabank.co.in
43	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri D.P. Gupta	7704809183	chairman@barodauprrb.co.in
44	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	No	General Manager	Shri Mukesh Kr. Choudhry	8052302801	gm.augb@gmail.com
45	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	Yes	Chairman	Shri S B Singh	9594718299	chairman@gba-rrb.com
46	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Rama Naik K	8954607080	chairman@prathamabank.org
47	Purvanchal Bank	Chairman	No	General Manager	Shri V K Agarwal	7571810004	agrawalvk61@gmail.com
48	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	No	Regional Manager	Shri Ashutosh Chopra	7055114001	rdmgonda@gmail.com

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	Email_ID
49	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Bhola Prasad	9415600700	kgsg@kgsgbank.co.in
50	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No	Dy. General Manager	Shri Ashok Kumar	7525006031	upcbbkg@gmail.com
51	UPSGVB	Managing Director	Yes	No Participation			
52	Axis Bank	Circle Head	No	Senior Manager	Ms. Mitali Savant	9889016931	mitali.savant@axisbank.com
53	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	No	Senior Manager	Shri Basant Kumar	9792330000	basant.kumar@hdfcbank.com
54	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Associate Vice President	Shri Amar Singh	7055101598	lucknow@nainitalbank.co.in
55	IDBI Bank Ltd.	General Manager	No	Asstt. General Manager	Shri Omkar Nath	9450162814	onkar.nath@idbi.co.in
56	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	No	State SLBC Head	Shri Aftab A Khan	8756888141	aftab.alam@icicibank.com
57	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Sr. Branch Manager	Shri Sandeep Kumar	9839222575	lucknow@ktkbank.com
58	Federal Bank	State Head	No	No Participation			
59	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	No Participation			
60	Govt. of U.P.	Addl. Chief Secretary	Yes	Addl. Chief Secretary	Dr. Anoop Chandra Pandey, IAS		
61	Govt. of U.P.	Principal Secretary, KVIB	No	Chief Executive Officer	Shri A K Singh, IAS		
62	Agriculture	Principal Secretary	No	Special Secretary	Shri G P Tripathi, IAS		
63	Rural Development	Principal Secretary	No	SPM	Shri Om Prakash	8176880399	upsrlmspmmf@gmail.com
64	UPSRLM	Misson Director	No	Joint Mission Director	Shri V P Pandey	9415358031	mdsrlmup9@gmail.com
65	SIDBI	State Head/General Manager	Yes	General Manager	Shri Arup Kumar	9870508754	arupkumar@sidbi.in
66	Handloom & Textile, GoUP	Principal Secretary	No	Dy. Commissioner	Shri K P Verma	9415268129	dhtup@rediffmail
67	MSME Kanpur	Director	No	Dy. Secretary	Shri Panna Lal	9454411994	pannal.1964@gmail.com
68				Asstt. Director	Shri Jagadish Sahu	8658581785	jsahumsme@gmail.com
69	Planning Department	Principal Secretary	No	Research Officer	Shri Gangadhar Kushwaha	9454468945	kushwahagangadhar@gmail.com
70	National Commission for SCs	Managing Director	No	No Participation			
71	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	No Participation			
72	Directorate of Industries, Kanpur	Commissioner & Director, GoUP	No	Dy. Commissioner	Shri Sarveshwar Shukla	9415054007	diup123@rediffmail.com
73	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director General	No	Addl. Director	Shri Rakesh Krishna		
74				ARO	Shri Vivekanand	9808913076	director.dif@gmail.com
75	UPSC Finance Corporation	Managing Director	No	General Manager	Shri R P Singh	9415255269	md.hq.upsfdc@gmail.com
76	Directorate of Agriculture	Director	No	Director (Statistics)	Shri Vinod Kumar Singh	9235629305	agristat@gmail.com
77	Khadi & Village Industry Comm.	State Director	No	Asstt. Director - II	Shri Ashutosh Kumar Singh	9415463417	
78	National Horticulture Board	Director	No	Senior Horticulture Officer	Shri Ashwani Kumar Mishra	9822703510	akmishranhb@gmail.com
79	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	No	Dy. CEO	Shri Hari Ram Singh	7408410716	
80	UP Bhoomi Sudhar Nigam	Managing Director	No	Senior Manager	Shri S C Shukla	8726447478	scshukla2610@gmail.com
81				Executive Credit	Shri Anil Singh Chandel	9450095722	credit.upbsn@gmail.com
82	Police Headquarter	Director General	No	S.P. (Crime)	Shri Rahul Raj, IPS	9454400387	rr061265@ganuk.com
83	National Housing Bank	Regional Manager/DGM	Yes	General Manager	Shri K Chakravartay	9958400498	kulasekharachakravartay@nhb.org.in
84	Udyog Bandhu	Executive Director	No	Director	Shri Vivekanand	9040410077	udyogbandhu.com
85	HUDCO	General Manager	No	Jt. General Manager	Shri R K Srivastava	9450932215	hudcolucknow@gmail.com
86	RSETI, MoRD	State Project Co-ordinator	Yes	State Director	Shri V S Sharma	7060207300	mc&pcvssharma@gmail.com
87	LIC of India	Regional Manager	No	No Participation			
88	United India Insurance Co. Ltd	State Head	No	No Participation			
89	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No	Asstt. Manager	Ms. Sarita Khatri	8130066430	sarita.khatri@orientalinsurance.co.in
90	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Chief Regional Manager	No	No Participation			
91	Deptt. Of Post	Chief Post Master General	No	Asstt. Supdt.	Shri Sunil Kumar	9450378223	servic100270@gmail.com
92	Dial 100	Director General	No	SP, UP 100	Shri Mohammad Imran	9499861957	sp1.100-up@gov.in
93	EPFO	Commissioner		No Participation			
				Special Invities			
94	Yes Bank	State Head	No	CSDL	Shri Gajendra Pal Singh	9935043955	gajendra.singh@yesbank.in
99	Directorate of Census Operations	Dy. Director	No	No Participation			
100	UIDAI	Asstt. Director General	No	ADG	Shri Pooran Mal	9415261200	pooran.mal@uidai.net.in
101	UIDAI	Asstt. Director General		Section Officer	Shri Rajeev Srivastava	8005494256	rajeev.srivastava@uidai.net.in
102	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	No Participation			
103				Dy. Gen. Manager	Shri K D Bansal		
104				Dy. Gen. Manager	Shri Pankaj Srivastava	7880972333	pankaj_bob@rediffmail

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	Email_ID
105	Bank of Baroda			Asstt. Gen. Manager	Shri Sanjeev Gupta	0522-6677722	slbc.up@bankofbaroda.com
106				Chief. Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721	slbc.up@bankofbaroda.com
107				Senior Manager	Shri B K Gupta	0522-6677730	ps.upu@bankofbaroda.com
108				Manager	Shri Shailendra Kr. Sharma	0522-6677717	
109				Officer	Shri Rakesh Kumar Srivastava	0522-6677725	
110				Officer	Smt. Sheetal	0522-6677694	
111				Officer	Ms Anjali Singh	0522-6677726	
112				Business Associates	Ms. Shikha Tripathi	0522-6677726	
113